

**[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART – IV EXTRA – ORDINARY]  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(TRANSPORT DEPARTMENT)  
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-54.**

Dated the 20<sup>th</sup> December, 2016

**NOTIFICATION**

No. F. 19(95)/Tpt./Sectt./10/257 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200, read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the notification No. 19(80)/Tpt./Sectt./2008/733 dated the 11<sup>th</sup> November, 2008, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the officers as mentioned in column No. 4 of the Schedule given below to compound traffic offences committed under the said Act and punishable under the section/sections mentioned in column No.2, with the amounts specified in the corresponding column No. 3 of the said Schedule, namely:-

**SCHEDULE**

S. No.	Section under which offence is punishable	Amount for composition specified (Rs.)	Officers to whom authority is conferred to compound
1	2	3	4
1.	177 (1 <sup>st</sup> offence)	100.00	Officers of the rank of Head Constable and above of Delhi Traffic Police and Head constable and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
2.	177 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	300.00	-do-
3.	178(1) or (2)	500.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above of Delhi Traffic Police and Assistant Sub Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi
4.	178(3)(a)	50.00	-do-
5.	178(3)(b)	200.00	-do-
6.	179(1)or (2)	500.00	-do-
7.	180	1000.00	-do-
8.	181	500.00	-do-
9.	182(1)	500.00	-do-
10.	182(2)	100.00	-do-
11.	183 (1) (1 <sup>st</sup> offence)	400.00	-do-
12.	183 (1) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	1000.00	-do-
13.	183 (2) (1 <sup>st</sup> offence)	300.00	-do-
14.	183 (2) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	500.00	-do-
15.	184 (1 <sup>st</sup> offence)	1000.00	-do-
16.	184 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	2000.00	-do-
17.	186 (1 <sup>st</sup> offence)	200.00	-do-

18.	186 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	500.00	-do-
19.	189	500.00	-do-
20.	190 (2) (1 <sup>st</sup> offence)	1000.00	-do-
21.	190 (2) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	2000.00	-do-
22.	191	500.00	Officers of the rank of Assistant Sub Inspector and above of the Transport Department.
23.	192 (1) (1 <sup>st</sup> offence)	5000.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above in the Delhi Traffic Police and Assistant Sub Inspector and above of the Transport Department.
24.	192 (1) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	10000.00	-do-
25.	194(1) vehicles driven in contravention of section 115 of the M.V. Act, 1988	2000.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above of Delhi Traffic Police and Assistant Sub Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
26.	194(1) vehicles driven in contravention of section 113 or section 114 of the M.V. Act, 1988	2000.00+1000.00 per tonne of excess load+ charges of off load	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above of the Transport Department.
27.	194(2)	3000.00	-do-
28.	196	1000.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above in the Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of the Transport Department.
29.	198	100.00	-do-

2. The amount compounded by the authorized officers shall be deposited in the "Major Head 0041, taxes on vehicles, 101-IMV (Fees & Fine)", of the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**By order and in the name of  
the Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,**



**(V.K. MONGIA)  
Deputy Secretary (State Transport Authority)**

(दिल्ली राजपत्र भाग -4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
(परिवहन विभाग)  
5/9 अंडर हिल रोड़, नयी दिल्ली.

दिनांक: 20.12.2016

**अधिसूचना**

सं. फा. 19(95)/परिवहन/सचि0/10/257 - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 19(80)/परिवहन/सचि0/2008/733 दिनांक 11 नवम्बर, 2008 अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन किये गये तथा अनुसूची के समरूप कॉलम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट राशि सहित कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित धारा/धाराओं के अधीन दंडनीय यातायात अपराधों के समाधान के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम संख्या 4 में यथा उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं:-

**अनुसूची**

क्र० सं०	धारा जिसके अधीन अपराध दंडनीय हैं	विनिर्दिष्ट प्रशमन के लिये राशि (रूपये)	वे अधिकारी जिन्हें समाधान करने का अधिकार प्रदत्त है
1	2	3	4
1	177(प्रथम अपराध)	100.00	दिल्ली यातायात पुलिस के प्रधान सिपाही अथवा इससे ऊपर के रैंक के तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सिपाही तथा इससे ऊपर के अधिकारी
2	177(द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	300.00	-वही-
3	178(1) या (2)	500.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
4	178(3) (क)	50.00	-वही-
5	178(3) (ख)	200.00	-वही-
6	179(1) या (2)	500.00	-वही-
7	180	1000.00	-वही-
8	181	500.00	-वही-
9	182(1)	500.00	-वही-
10	182(2)	100.00	-वही-
11	183(1)(प्रथम अपराध)	400.00	-वही-
12	183 (1)(द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	1000.00	-वही-
13	183(2)(प्रथम अपराध)	300.00	-वही-
14	183 (2)(द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	500.00	-वही-
15	184 (प्रथम अपराध)	1000.00	-वही-

16	184 (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	2000.00	-वही-
17	186 (प्रथम अपराध)	200.00	-वही-
18	186 (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	500.00	-वही-
19	189	500.00	-वही-
20	190(2)(प्रथम अपराध)	1000.00	-वही-
21	190(2) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	2000.00	-वही-
22	191	500.00	परिवहन विभाग के सहायक उप-निरीक्षक अथवा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी
23	192(1)(प्रथम अपराध)	5000.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रैंक के अधिकारी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तथा परिवहन विभाग में सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
24	192(1) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	10000.00	-वही-
25	194 (1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 कि धारा 115 के उल्लंघन में वाहन चलाना	2000.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रैंक के अधिकारी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
26	194 (1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 या 114 के उल्लंघन में वाहन चलाना	2000.00+1000.00 अतिरिक्त भार का प्रति टन का प्रभार + माल उतारने का प्रभार	परिवहन विभाग के सहायक उप-निरीक्षक अथवा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी
27	194(2)	3000.00	-वही-
28	196	1000.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रैंक के अधिकारी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तथा परिवहन विभाग में सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
29	198	100.00	-वही-

2. प्राधिकृत अधिकृत अधिकारियों द्वारा समाधान की गई राशि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के "मुख्य शीर्ष 0041, वाहनों पर कर, 101- आईएमवी (शुल्क एवं दंड)", में जमा की जायेगी।
3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

*विनय कुमार मोंगिया*

( विनय कुमार मोंगिया)  
उप सचिव (राज्य परिवहन प्राधिकरण)